न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–		रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.
मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
76/2016 प्रा.पत्र/2016	30.11.2016	23.01.2026
जीसीएमएस नं0 347/2016		

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स राधे किराणा स्टोर राम नगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी आदर्श नगर मालपुरा जिला टोंक राज.।
2–मैसर्स राधे किराणा स्टोर राम नगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज.।
3–श्री रामबाबू परतानी प्रोपरायटर मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 21, बसंत बहार कॉलोनी ब्रजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.। निवासी प्लॉट नं. 68, ब्रजलाल नगर, मालपुरा जिला टोंक राज.।
4–मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 21, बसंत बहार कॉलोनी ब्रजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.।
5–श्री बेनी गोपाल मंत्री पार्टनर मंत्री एग्रो इण्डस्ट्रीज जी–1/17, ए बढारना इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर निवासी 2/166 विद्याधर नगर जयपुर राज.।
6–श्रीमती पार्वती मंत्री पार्टनर मंत्री एग्रो इण्डस्ट्रीज जी–1/17, ए बढारना इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर निवासी 2/166 विद्याधर नगर जयपुर राज.।
7–मैसर्स मंत्री एग्रो इण्डस्ट्रीज जी–1/17, ए बढारना इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज.।

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण सं. 1ता 4 स्वयं एवं
अप्रार्थी सं0 5 ता 7 के अभिभाषक उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 23/1/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.06.2016 को समय 03:20 पी.एम. पर मैसर्स राधे किराणा स्टोर राम नगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉं पर श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **बेसन गणगौर एगमार्क पॉली**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Besan Gangaur Agmark poly pack) के 500–500 ग्राम के 11 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **बेसन गणगौर एगमार्क पॉली (Besan Gangaur Agmark poly pack)** जिसके बैंच नं. 23 एवं पैकिंग की दिनांक 04 मई 2016 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बेसन गणगौर एगमार्क पॉली (Besan Gangaur Agmark poly pack)** 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक कुल मात्रा 2 किलोग्राम में से एक–एक पैकेट वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1359 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1359 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल मैसर्स राधे किराणा स्टोर राम नगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 21, बसंत बहार कॉलोनी ब्रजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक का वारन्टी बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स मंत्री एग्रो इण्डस्ट्रीज जी–1/17, ए बढारना इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर निवासी 2/166 विद्याधर नगर जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/2726 दिनांक 08.07.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./374/एक्ट/2016/242 दिनांक 16.06.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **बेसन गणगौर एगमार्क पॉली (Besan Gangaur Agmark poly pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **बेसन गणगौर एगमार्क पॉली (Besan Gangaur Agmark poly pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बेसन गणगौर एगमार्क पॉली (Besan Gangaur Agmark poly pack)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/1/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज.